

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज\*

\*दिनांक- नवम्बर 02, 2020\*

\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\* जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर \*78 वाहनों का चालान, 12 वाहनों से कुल 9600/-रूपया शमन शुल्क वसूल\* किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

\*कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा \*188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 00\* व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व \*मास्क न लगाने वाले कुल- 37 व्यक्तियों से 3700/- रुपये शमन शुल्क\* वसुला गया।

\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से \*कुल- 32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार\* कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त सती पुत्र हिराप्रसाद नि0 भारी वैसी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-230/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

\*थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्ता निर्मला पत्नी लीजक नि0 कजरी थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-282/20 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

\*कस्टम एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त प्रदीप जायसवाल पुत्र छोटेलाल नि0 लालपुर थाना ठूठीबारी मह0 आदि 03 नफर जनपद महाराजगंज कब्जे से 10 बोरी युरिया, 01 बोरी डीएपी खाद, 01 अदद टैम्पो व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 11 कस्टम अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

\*गुण्डा एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र मुन्नर नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा मह0 जनपद महाराजगंज जो कि जिलाबदर होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा घर पर निवास कर रहा था, के विरुद्ध थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- 229/20, धारा- 10 गुण्डा अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

2. जगनाथ पुत्र मुन्नर नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा मह0 जनपद महाराजगंज जो कि जिलाबदर होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा घर पर निवास कर रहा था, के विरुद्ध थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- 230/20, धारा- 10 गुण्डा अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

\*आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\* अभियुक्त सुनील चौधरी पुत्र हरिलाल नि0 रुदौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज कब्जे से 1 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर \*मु0अ0सं0- 467/20, धारा- 4/25 आर्म्स अधिनियम\* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

\*विवेचनाओं का निस्तारण-\* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए \*कुल-06\* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

\*जनपद में 01/02-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 37 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\*

